

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपरवण आधिकारी सिकराय .....

सरकार बनाम कमल कुमार वराम रामरथल सुकर

किरम मुकदमा अपील मु० नं० ११५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/8/2017	<p>श्री कैलारा गुर्जर सूडवोकेट ने अपील पेश की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील गण की तलबी की जाकर फावली दिनांक 4/10/2017 को पेशा ले।</p>	
4/10/19	<p style="text-align: center;">अ</p> <p style="text-align: center;">उपरवण आधिकारी सिकराय जिला-दीसा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील अपीलान्त को मुना गया। पत्रावलीका अवलोकन किया व लक्ष्य का मनन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण में प्राहिर है कि अधिनियम न्यायालयने गलत रूप में अपीलान्त के हुकम भरे हुए नामान्तरकरण को श्वारिप्त किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त आदेश निश्चत किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अपीलान्त नामान्तरकरण संशुद्धा- 777 निर्णय दि-30-12-17 वाकेग्राम-जिला-दीसा 20 सिकराय निश्चत किया जाकर प्रकरण लक्ष्मीलदार सिकराय को इस निर्देश के माव</p>	

सिकराय

अपील

शिमाण्ट किया जाता है। कि पक्षकारी को सुनवाई का अवसर  
 देकर ऑचकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।  
 तहसीलदार सिकराय को तहदीर जारी हो। पत्रावली फैसल  
 शुमार होकर नम्बर में कम हो। निर्णय मैरी द्वारा लिखा  
 जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/4/10/19  
 उपा. सिकराय  
 सिकराय जिला-दौसा

